न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–296 सन् 2012

विश्वजीत कुमार वगै0................................वादीगण।

बनाम

मु0 आरती देवी वगै0....................................प्रतिवादीगण।

दिनांक–06.08.2024

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 06.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 05 लक्ष्मण सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 03.02.2021 को तथा प्रतिवादी सं0 06 राजेश्वरी सिंह की मृत्यु दिनांक 21.04.2021 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 05 वो 06 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 05 लक्ष्मण सिंह वो प्रतिवादी सं0 06 राजेश्वरी सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने एवं एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 05 लक्ष्मण सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 03.02.2021 को तथा प्रतिवादी सं0 06 राजेश्वरी सिंह की मृत्यु दिनांक 21.04.2021 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है, जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 06.10.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन अपास्त करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक......................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज,द्वितीय

सोनपुर, सारण।